हिंदी अनुभाग

कृपया अपने दिनांक 16.01.2020 के यू.ओ.नोट सं.आई.12/फैप/2017/वॉल-V का संदर्भ लें जिसके तहत आपके अनुभाग से संबंधित परिपत्र सं.फैप/28 हिन्दी अनुवाद हेतु भेजा गया था। उक्त परिपत्र का हिंदी अनुवाद आपको आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है। हालांकि हिंदी अनुवाद में पूरी सावधानी बरती गई है लेकिन फिर भी जारी करने से पहले विषय-वस्तु/आंकड़ों की दृष्टि से इसे एक बार अवश्य देख लें और यदि इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे हिंदी अनुभाग के ध्यान में अवश्य लाएं।

21/1/20

संलग्नः यथोपरि।

(राकेश कुमार)
प्रबंधक(हिंदी)

प्रबंधक (फैप), भारतीय खाद्य निगम, मुख्यालय,नई दिल्ली।

संख्याः हि.अनु./द्विभाषी/2020 **दिनांकः 20.01.2020**

सः I.12/फैप/2017 वॉल V दिनांकः 10.12.2019

परिपत्र सं. फैप/28

विषयः वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सीपीएफ पर बोनस ब्याज के लिए फैप में प्रक्रिया।

संदर्भः सीपीएफ प्रभाग के दिनांक 20.11.2019 के परिपत्र सं. सीपीएफ/45/मुख्यालय

आपका ध्यान दिनांक 01 अप्रैल, 2019 को एफसीआई सीपीएफ ट्रस्ट के प्रत्येक सदस्य (01 अप्रैल, 2019 को नियमित कर्मचारी) के सीपीएफ बैलेंस पर 2.50% की दर से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बोनस ब्याज के संबंध में जारी दिनांक 20.11.2019 के परिपत्र सं. सीपीएफ/45/मुख्यालय की ओर दिलाया जाता है। इस संबंध में, फैप में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नानुसार है-

2. नियोक्ता अंशदान, कर्मचारी अंशदान तथा स्वैच्छिक अंशदान (चालू वितीय वर्ष में आरंभिक शेष) शीर्ष के अंतर्गत 01 अप्रैल, 2019 को प्रत्येक नियमित कर्मचारी का दिनांक 01.अप्रैल, 2019 के बैलेंस पर 2.50% की दर से बोनस ब्याज की गणना की जाएगी।

3. सीपीएफ "पेरोल यूजर (ऐप्स) के अंतर्गत सीपीएफ पर "एफसीआई बोनस ब्याज " की रिपोर्ट इकाई/आंचलिक स्तर पर संबंधित इकाई/संबंधित पेरेंट जोन के अंतर्गत तैनात कर्मचारी को उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें 6 दिसंबर, 2019 तक पेरेंट जोनल कार्यालय सीपीएफ प्रभाग द्वारा जारी कोई भी समायोजन, प्रभावी आरंभिक शेष तथा प्रत्येक हेड पर गणना किए गए बोनस ब्याज सहित दिनांक 01 अप्रैल, 2019 को हैड वाइज शेष दर्शाया जाएगा।

4. इस तरह से गणना किए गए कुल बोनस राशि (एक मुश्त) को "वितीय वर्ष 2019-20 के लिए " कर योग्य आय" के रूप में प्रत्येक कर्मचारी के लिए इंप्लॉयी पेरोल मोड्यूल के एक्सट्रनल सेविंग स्क्रीन में पेकोड 609 के अंतर्गत भी दर्शाया जाएगा तथा दिसंबर 2019 पेरोल प्रोसेसिंग से आयकर की गणना के लिए फैप सिस्टम द्वारा विचार किया जाएगा तथा कर्मचारी की आय तथा आयकर के संबंध में फैप की रिपोर्ट में दर्शाया जाएगा। बोनस ब्याज शेष को देखने के लिए एक्सट्रनल सेविंग रिपोर्ट को उपयोग किया जा सकता है।

5. दिसंबर माह में अर्थात् नियमित मासिक अंशदान लाइन तथा /अथवा समायोजन लाइन के अलावा केवल सक्रिय कर्मचारी(पूर्व कर्मचारियों(दिनांक 01.04.2019 से 31.11.2019 के बीच भा.खा.नि. से सेवानिवृत/अलग हो गए है) के लिए नहीं] की सीपीएफ स्लिप में बोनस ब्याज (हेड वाइज) की अलग से लाइन दिखाई जाएगी।

6. आंचलिक कार्यालय, " सीपीएफ सप्लीमेंटरी स्क्रीन" का इस्तेमाल करते हुए पूर्व सदस्यों के लिए बोनस ब्याज के मंजूरी आदेश जनरेट करेगा। संबंधित इकाई के डीडीओ यह सुनिश्चित करेंगे कि पूर्व सदस्य को भुगतान करने से पहले बोनस ब्याज राशि पर कर्मचारियों से बकाया आयकर की कटौती की जाएगी। आयकर की कटौती के लिए, डीडीओ द्वारा सप्लीमेंटरी स्क्रीन ऑफ इंप्लॉयी पेरोल मोड्यूल का इस्तेमाल करते हुए फैप में क्रेडिट मीमो बनाया जाएगा। यूजर "करंट रिकवरी" के रूप में भुगतान के प्रकार सहित "आयकर" के विवरण सहित पे कोड 302 का चयन करेगा तथा एप्स मोड्यूल को इन्वॉयस भेजकर क्रेडिड मीमो जनरेट करेगा। यह फैप के अकाउंट्स पेयबल मोड्यूल में क्रेडिट मीमो क्रियट करेगा तथा वह बोनस ब्याज के भुगतान के लिए आंचलिक कार्यालय द्वारा क्रियट किए गए इन्वॉयस पर लागू होगा।

7. सीपीएफ अनुभाग के परिपत्र में उपर्युक्त बिंदु संख्या 4 में दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, ' पूर्व सदस्यों के मामले में' टीडीएस को शेष संचित राशि से काट लिया जाएगा, जो अब उन्हें वेतन के रूप में देय है। पूर्व सदस्यों के मामले में भी

जो अभी नियमित सीपीएफ फ़ाइनल भुगतान ले रहे है, आंचलिक कार्यालय पूर्व-सदस्यों के लिए बोनस ब्याज की मंजूरी अलग से जनरेट करेगा ।

8. डीडीओ सत्यापित और सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारियो की तिमाही टीडीएस रिटर्न एवं फॉर्म-16 में बोनस ब्याज राशि (आय के रूप में) एवं आयकर कटौती सही तरीके से दर्शाई जाए। कोई भी विचलन पाए जाने पर तुरंत मुख्यालय के फैप डिवीजन के ध्यान में लाया जाए।

9. दिनांक 6 दिसंबर, 2019 की निर्धारित तिथि के बाद, किसी तीन शीर्ष (नियोक्ता, कर्मचारी एवं वीपीएफ) में से किसी एक तहत आरंभिक शेष में किसी भी संशोधन के मामले में, किसी भी कर्मचारी के बोनस ब्याज में वृद्धि/कमी होने पर, निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाए :

i. <u>सक्रिय कर्मचारियों के लिए</u>

क. आंचलिक कार्यालय "मेन्टेन पीएफ स्क्रीन' का उपयोग करते हुए कर्मचारी के ओपर्निंग बैलेंस के साथ-साथ बोनस ब्याज में शीर्ष-वार (हेड वाइज) समायोजन करेगा और संबंधित इकाइयों जहां संबंधित कर्मचारी वर्तमान में तैनात है, के आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) को संशोधित / अद्यतन बोनस ब्याज राशि के बारे में सूचित करेगा ।

ख. सीपीएफ डिवीजन से प्राप्त सूचना के आधार पर, डीडीओ आय के रूप में बोनस ब्याज को संशोधित / परिवर्तित करने के लिए, पे कोड 609 का उपयोग करके एक्सट्रनल सेविंग स्क्रीन में प्रविष्टि (नकारात्मक / सकारात्मक) करेगा। अद्यतन बोनस ब्याज को वित्तीय वर्ष 2019-20 में शेष / बाद के माह के पेरोल प्रोसेसिंग में आयकर गणना के लिए फैप प्रणाली द्वारा आय के रूप में माना जाएगा।

ii. **पूर्व सदस्यों के लिए (जो दिनांक 01.4.2019 से दिनांक 30.11.2019 के बीच भा.खा.नि. से सेवानिवृत्त / अलग हुए)**

क. आंचलिक कार्यालय, "सीपीएफ सप्लीमेंटरी स्क्रीन" का उपयोग करके संशोधित / सुधारे गए बोनस ब्याज के लिए पूर्व सदस्यों का स्वीकृति आदेश / पेमेंट इन्वॉयस जनरेट करेगा और संबंधित इकाइयों जहां संबंधित पूर्व-कर्मचारी के भुगतान को जारी किया जाना है, के आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) को संशोधित / अद्यतन बोनस ब्याज राशि के बारे में सूचित करेगा ।

ख. सीपीएफ डिवीजन से प्राप्त सूचना के आधार पर, डीडीओ आय के रूप में बोनस ब्याज को संशोधित / परिवर्तित करने के लिए, पे कोड 609 का उपयोग करके एक्सट्रनल सेविंग स्क्रीन में प्रविष्टि (नकारात्मक / सकारात्मक) करेगा।

(पुखराज टाक)
मुख्य महाप्रबंधक(फैप)

<u>वितरणः</u>
अंग्रेजी के अनुसार ।